कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति बीजापुर, जिला-बीजापुर,छ.ग.

Email-bijapur.mandi@gmail.com

क्रमांक/मण्डी/स्था./सीधी भर्ती/2025–26/698....

बीजापुर दिनांक 30/3/2026

–: सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन :–

कृषि उपज मण्डी समिति बीजापुर, जिला बीजापुर (छ.ग.) के लिए सहायक ग्रेड –03 के नियमित पद हेतु बीजापुर जिला के स्थानीय निवासी, अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सचिव कृषि उपज मंडी समिति बीजापुर,जिला बीजापुर (छ.ग.) के पते पर दिनांक 10.04.2026 तक कार्यालयीन समयावधी पर समय सांय 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् एवं डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।

क्र	पद का नाम एवं वेतनमान	भर्ती प्रकिया	कुल रिक्तियां	रिक्त पदों का वर्गवार विवरण							
				अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछडा वर्ग	
				मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सहायक ग्रेड 03 वेतन लेबल (4) वेतनमान 19500–62000	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	0	0	0

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता –

1. सहायक ग्रेड–3–मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठयक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। तथा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा कम्प्युटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)।
2. कृषि उपज मंडी समितियों के लिए आदर्श उपविधि 2009 में वर्णित कंडिका (48) (क) से (48) (झ) तक में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

अन्य अहर्यताऐं :–

3. आयु सीमा छ.ग. शासन के नियमानुसार लागू होंगी किंतु मंडी समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन/संविदा में कार्यरत कर्मचारियों को शासन की अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की अतिरिक्त छुट प्रदान की जावेगी।
4. दिनांक 11.05.2000 से व्यक्ति विवाह की न्यूनतम आयु से पहले विवाह करेगा तो उसे राज्य में मंडी समिति सेवा में नौकरी के लिए अयोग्य माना जायेगा।
5. दिनांक 26.01.2001 के बाद जिन महिला अथवा पुरूषो को दो से अधिक बच्चे होगे उन महिला एवं पुरूषो को किसी प्रकार की मंडी समिति की सेवा प्राप्त करने की पात्रता नही होगी।
6. ऐसा कोई पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हो तथा ऐसी कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो सेवा, या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा/होगी।
7. किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नही किया जावेगा :–
   (1) यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी या सेवा के कदाचरण के परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, तथा लोक सेवा में नियोजन के लिए अनर्ह घोषित कर दिया गया हो
   (2) यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोषी सिद्व ठहराया गया हो।
8. आवेदक को बीजापुर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यह भर्ती स्थानीय स्तर से होने के कारण अन्य जिला के अभ्यार्थियों का आवेदन मान्य नही होगी।
9. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा।
10. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी, जिसे एक वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है।
11. चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा आयोजित किया जावेगा।
12. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
13. आवेदन सादे A 4साईज के कागज पर हस्तलिखित आवेदन मान्य होगा, किन्तु आवेदन के साथ संलग्न आवश्यक प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित होना आवश्यक है। आवेदन में जाति वर्ग लिखना एवं आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कराना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करना अनिवार्य है।
14. कौशल परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के दिन प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ लाना अनिवार्य होगा।
15. मण्डी समिति बीजापुर में दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा के रूप में कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
16. सीधी भर्ती/नियुक्ति से संबंधित अन्य शर्तो का अवलोकन कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बीजापुर में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति बीजापुर
जिला बीजापुर(छ0ग0)

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति बीजापुर
जिला बीजापुर(छ0ग0)